

2026:एचसी-एलकेओ:19207

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****आदेश से प्रथम अपील संख्या- 158 वर्ष 2026**

अरविन्द कुमार यादव एवं अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

संतोष कुमार एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

: योगेन्द्र नाथ यादव, सौरभ यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: सुधीर कुमार पाण्डेय, अन्नपूर्णा अग्निहोत्री

न्यायालय संख्या -20**माननीय न्यायाधीश श्री प्रशांत कुमार**

1. श्री योगेन्द्र नाथ यादव, उनके साथ श्री सौरभ यादव, जो अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता हैं, तथा सुश्री अन्नपूर्णा अग्निहोत्री, जो प्रतिवादियों की विद्वान अधिवक्ता हैं, की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का परिशीलन किया।

2. यह अपील विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. अधिनियम), अंबेडकर नगर द्वारा नियमित दीवानी अपील संख्या 31/2025 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 22.12.2025 तथा डिक्री दिनांक 07.01.2026 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है; जिसके द्वारा दीवानी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश, तथा डिक्री दिनांक 16.09.2019 को अपास्त कर दिया गया है और मामले को नए सिरे से विचार करने हेतु वापस भेज दिया गया है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता पर आरोप है कि उसने दिनांक 02.03.2005 को एक विक्रय-पत्र निष्पादित करवाया था। हालाँकि, यहाँ प्रतिवादियों ने उक्त विक्रय-पत्र को रद्द करवाने हेतु एक वाद संख्या 290/2005 प्रस्तुत किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि उक्त विक्रय-पत्र धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था, क्योंकि इसके बदले में कोई भी विक्रय-मूल्य अदा नहीं किया गया था। उक्त वाद को 'अभियोजन के अभाव' में निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि समन की तामील नहीं हो पाई थी; जिसके विरुद्ध प्रतिवादियों ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि पक्षों को 'प्रत्याहार (रिकॉल) आवेदन' प्रस्तुत करना चाहिए था; तदनुसार, अपील को इस स्वतंत्रता के साथ निरस्त कर दिया गया कि वे सिविल न्यायालय में पुनः संपर्क कर सकते हैं। हालाँकि, यहाँ प्रतिवादियों ने एक नया वाद संख्या 810/2012 प्रस्तुत कर दिया। इस पर 'पूर्व न्याय' और 'परिसीमा' के आधारों पर आपत्ति उठाई गई, और उक्त वाद को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद, प्रतिवादियों ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष नियमित सिविल अपील

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संख्या 31/2025 दायर की। अपीलीय न्यायालय ने अपने दिनांक 22.12.2025 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से, सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 16.09.2019 को पारित निर्णय, आदेश और डिक्री को निरस्त करते हुए मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया है, जिसमें पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई है।

4. इस आदेश को अपीलकर्ताओं द्वारा वर्तमान अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है।

5. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री योगेंद्र नाथ यादव ने यह निवेदन किया है कि यह वाद स्पष्ट रूप से परिसीमा और पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित था। अतः अपीलीय न्यायालय को मामले को वापस नहीं भेजना चाहिए था, बल्कि अपील को निरस्त कर देना चाहिए था।

6. इसके विपरीत, प्रतिवादियों की विद्वान अधिवक्ता सुश्री अन्नपूर्णा अग्निहोत्री ने यह निवेदन किया है कि वर्तमान अपील केवल मामले को वापस भेजने के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, और पक्ष दीवानी न्यायालय के समक्ष सभी विषयों को उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया है कि 'पूर्व न्याय' का सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि मामले का अंतिम निर्णय अपीलीय न्यायालय द्वारा नहीं किया गया था पिछला वाद केवल 'अभियोजन के अभाव' के कारण खारिज किया गया था। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX, नियम 4 के अंतर्गत, वादी एक नया वाद दायर करने का हकदार है, अथवा न्यायालय पिछले वाद को पुनः बहाल कर सकता है। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 14 प्रतिवादियों के पक्ष में है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

8. यह स्पष्ट है कि यहाँ प्रतिवादियों ने दिनांक 02.03.2005 की विक्रय विलेख रद्द कराने हेतु एक वाद दायर किया था, और वह वाद 'अभियोजन के अभाव' में निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि प्रतिवादी को तामील कराने हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया था। इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील दायर की गई है। इस अपील के लंबित रहने के दौरान, अपील वापस लेने और साथ ही एक पुनर्विचार आवेदन दायर करने की अनुमति मांगने वाला एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस आवेदन को स्वीकार कर लिया गया और अपील को प्रत्याहार के आधार पर निरस्त कर दिया गया। हालाँकि, पुनर्विचार आवेदन दायर करने के बजाय, प्रतिवादियों ने एक नया मुकदमा वाद संख्या 810/2012 दायर कर दिया। अपीलकर्ताओं ने इस मुकदमे का दो आधारों पर विरोध किया पहला 'पूर्व न्याय' के आधार पर और दूसरा 'परिसीमा' के आधार पर। तथापि, उक्त मुकदमा 16.09.2019 को 'परिसीमा' के आधार पर निरस्त कर दिया गया था। इस निर्णय के विरुद्ध, प्रतिवादियों ने एक अपील दायर की, जिसे दिनांक 22.12.2025 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस आदेश के माध्यम से, अपीलीय न्यायालय ने

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मामले को पुनः सिविल न्यायालय को लौटा दिया है, ताकि सभी मुद्दों पर साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद मामले की सुनवाई नए सिरे से की जा सके।

9. बहस के दौरान, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय से वर्तमान अपील वापस लेने की अनुमति मांगी, साथ ही अपीलकर्ताओं को यह स्वतंत्रता भी देने का अनुरोध किया कि वे सभी मुद्दों को सिविल न्यायालय के समक्ष उठा सकें।

10. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

11. तदनुसार, अपील को उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ, वापस ली गई मानकर निरस्त किया जाता है।

(न्यायाधीश श्री प्रशांत कुमार)

17 मार्च, 2026

अनुपम एस/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।